आदिवासी जनजातिक अधिकार

नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण
पुस्तिका श्रृंखला
संख्या - ६

संवैधानिक संवाद केन्द्र
CENTRE FOR CONSTITUTIONAL DIALOGUE

संवैधानिक संवाद केन्द्र

प्रकाशक

संवैधानिक संवाद केन्द्र

प्रथम संस्करण: २०६५ साल

प्रतिलिपि अधिकार © संवैधानिक संवाद केन्द्रमे सर्वाधिकार सुरक्षित अछि । सामग्रीक स्रोतक रुपमे संवैधानिक संवाद केन्द्रक नामे साभार व्यक्त क' गैरव्यावसायिक प्रयोजनक लेल ई पुस्तकक अंशसभ पुनःप्रकाशन आ/अनुवाद कएल जा सकैत अछि। पुनःप्रकाशन आ/अनुवादक एक प्रति संवैधानिक संवाद केन्द्रकेँ उपलव्ध कराओल जायत ।

साजसज्जा आ मुद्रण

प्रिन्ट प्वाइन्ट पव्लिसिङ्ग, त्रिपुरेश्वर, काडमाण्डू ।

विशेष जानकारी अथवा ई पुस्तकक प्राप्तिक लेल निम्नलिखित स्थानपर सम्पर्क राखब :

संवैधानिक संवाद केन्द्र

तेसर महल, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, नया बानेश्वर, काठमाण्डू

टेलिफोन नं.: ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८

ई –मेल: info@ccd.org.np

वेब साइट: www.ccd.org.np

आदिवासी जनजातिक अधिकार

पुस्तिका शृंखला ६

आदिवासी जनजातिक अधिकार १
परिचय १
आधारभूत अवधारणा आ परिभाषा २
नेपालक आदिवासी जनजाति ३
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड़सभ ५
नेपालमे विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत संयन्त्रसभ ६
निष्कर्ष ८

आदिवासी जनजातिक अधिकार

परिचय

नेपालमे एखन आदिवासी जनजातिक अधिकारसम्बन्धी विषय अग्रस्थानपर अछि। विशेष रूपसँ नव संविधान लेखनक सन्दर्भमे ई गहन विचारविमर्शक बिषय अछि। ई एखन एक सशक्त राजनीतिक मुद्दा भ'गेल अछि। नेपालक जनसंख्याक स्वरूपमे जातीय विविधता उल्लेख्य रूपमे रहल अछि। सम्पूर्ण जनसंख्याक लगभग एक तिहाइसँ बेसी आदिवासी जनजातिक अछि। संगहि, एत' बहिष्करण आ सीमान्तीकरणक नम्हर इतिहास अछि आ बिभिन्न जातीय समूहसभक बीच स्पष्ट सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नता अछि।

आदिवासी जनजातिसम्बन्धी प्राथमिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनक आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि (अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, नं १६९) अनुमोदन कर'बला विश्वक बीस गोट देशमेसँ एकटा (आ एसियाक एक मात्र) देश नेपाल अछि। ई सन् २००७क सितम्बरमे उक्त महासन्धिक अनुमोदन केने छल। तहिना नेपालमे सन् २००२क पश्चात् आदिबासी जनजातिसम्बन्धी कानुन सेहो सक्रिय रहल अछि। ई संयन्त्र आदिवासी जनजातिक समूह तथा व्यक्तिसभकेँ महत्वपूर्ण अधिकारसभ प्रदान केने अछि। ई अधिकारसभमे अपन संस्था, जनजीवन आ आर्थिक विकाससम्बन्धी पक्षसभक उपर नियन्त्रण कायम राख'बला तथा अपन पहिचान कायम राख'बला आ तकर विकास क' सकबाक अधिकार समाविष्ट अछि। तहिना आदिवासी जनजातिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७ आर बेसी दूरगामी होबाक संगहि एहिमे बहुतरास बात समाविष्ट कएलगेल अछि, मुदा ई दस्तावेज बाध्यात्मक दस्तावेज नहि अछि। ई दस्तावेज आदिवासी जनजातीय अधिकारिक विकासक लेल मूल सन्दर्भ तथा पैरवी सामग्री भेल अछि।

आदिवासी जनजातिक अधिकारसम्बन्धी बहस समाजक सभ तहमे सभ वर्गक विस्तृत सहभागिता, स्वशासन तथा सशक्तीकरणक विषयमे सर्वसाधारणक ध्यानाकर्षण सेहो करओने अछि। एत' बहसक तात्पर्य समग्र जनताक आकांक्षाक सँग सन्तुलन बनाक' मानवअधिकार आ लोकतन्त्रक सामान्य सिद्धान्तक सँग एकीकृत, शासकीय तथा समृद्ध नेपालक स्थापना करबाक लक्ष्यसहित नेपालक आदिवासी जनजातिक हरसम्भव विस्तृत स्तरक स्वायत्तताकेँ नव संविधान कोना उत्कृष्ट रूपसँ प्रत्याभूत करत आ कोनकोन प्रकारक संयन्त्रसभद्वारा एकर प्रभावकारी कार्यान्वयनकेँ सुनिश्चित क'सकत, से अछि।

आदिवासी जनजतिक न्यायोचित आवश्यकता आ आकांक्षासभसँ जुड़ल चुनौती विश्वक बहुत देशसभ सामना केने अछि। आदिवासी जनजातिसभ दशकोँ अथवा ओहूसँ बेसी कहल जाए त' शदियौसँ सीमान्तीकृत होइत आबि रहल अछि। हालक वर्षमे (एखुनका समयमे) ओकरासभक गम्भीर अवस्थाक सम्बन्धमे विश्वव्यापी रूपसँ चेतनाक विस्तार भेल अछि। एक दिस विगतमे भेल अन्यायकेँ उलटाओल नहि जा सकैत अछि त' दोसर दिस ओकरासभक उपर भेल अन्यायक

लेल क्षतिपूर्ति देबाक उपाय पत्ता लगओनाइ चुनौतीक रूपमे रहल अछि। नेपालमे एहि बिषयमे संवैधानिक बहसक सुरुवात भ'चुकल अछि। संवैधानिक स्वरूप अथवा व्यवस्थाक सीमासभक सम्बन्धमे सेहो सचेत हएब आवश्यक अछि। संविधान स्वयंमे एकटा समाधान नहि भ' समाधानक लेल तात्कालिक दिशानिर्देशक पक्ष मात्र भ'सकैत अछि, ई बात बुझब आवश्यक अछि।

आधारभूत अवधारणा आ परिभाषा

आदिवासी जनजातिसम्बन्धी एकटा सर्वाधिक कठिन आ विवादास्पद मुद्दा एकर परिभाषा केनाई अछि। बहुतरास अधिकारसभ सामूहिक अधिकारक रूपमे रहलाक कारण ई बिशेष रूपसँ सान्दर्भिक अछि। परिभाषामे ऐतिहासिक व्याख्या, मानवशास्त्रीय आ सामाजिक पक्षसभ कानुनी आधार (देशअनुसार पृथक–पृथक) आ सम्बन्धित समूहसभक अपन परिभाषा सनक पक्षसभ समावेश अछि।

सामान्यतः आदिवासी जनजाति कहलासँ कोनो खास क्षेत्रक मौलिक बासिन्दा अर्थात् एखनुका प्रभावशाली अथवा प्रभुत्व जमओने जातीय समूहसभ आवसँ पहिने अथवा सम्बन्धित राज्य/क्षेत्रक सीमा निश्चित करबासँ पहिनेसँ उक्त स्थानमे बसोबास केनिहार अथवा बसोबास करैत आविरहल बासिन्दाकेँ जनबैत अछि। ई तथ्यकेँ उपनिवेशक इतिहाससँ जुड़ल तथा नम्हर परिमाणमे जनसंख्याक बसाइसराइ (स्थानान्तरण) भेल अमेरिका आ अष्ट्रेलिया सनक देशसभक सन्दर्भमे स्थापित करव बहुत आसान हएत। संगहि, ई कोनो देशक शासन व्यवस्थाक प्रभावसँ मुक्त उष्ण सदाबहार बनक्षेत्र सनक स्थानमे स्वतन्त्र रूपसँ अथवा एकांकी रूपसँ बसोबास करैत आबिरहल मनुष्यकेँ सेहो जनबैत अछि। एकर थप (अतिरिक्त) मापदण्ड, ओ मनुष्यसभ अपन पृथक मातृभाषा, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संस्थागत विशेषतासभकेँ कमसँकम आंशिको रूपसँ कायम रखने रहैत अछि आ ओकरसभक अगलबगल रहल राज्यक जनसंख्या आ प्रभुत्व जमओने संस्कृतिसँ किछु हदधरि पृथक रहैत अछि। दोसर महत्वपूर्ण पक्ष ओसभ अपनाआपकेँ आदिवासी जनजातिक रूपसँ स्वपहिचान कायम रखने रहैत अछि। अथवा/आ अन्य समूहसभ ओकरा स्वीकार केने रहैत अछि।

ई परिभाषमे किछु समस्याजन्य पक्षसभ सेहो अछि। उपर्युक्त सभ मापदण्ड पूरा भेलाक बादो किछु मनुष्य अथवा समूह अपनाआपकेँ आदिवासी जनजाति नहिओ कहि सकैत अछि अथवा सरकार विभिन्न संस्था अथवा विद्वानसभ सेहो सएह धारणा राखि ओकरासभकेँ जनजाति नहि कहि सकैत अछि। व्यक्तिगत, अथवा एकल पहिचान सामूहिक पहिचानसँ पृथक भ'सकैत अछि। एकर अतिरिक्त, इतिहासक अभिलेखन प्रारम्भ होबासँ पहिनेसँ मनुष्यसभ एक दोसरकेँ भूमिपर आक्रमण क', ओकरा उपनिवेश बनाक' ओत' बसोवास करैत आबि रहल बात स्पष्ट अछि। ताहिलेल आदिवासी आ गैर आदिवासी, मौलिक बासिन्दा अथवा उपनिवेशनिर्माताक बीच भिन्नता देखाएव विवेकपर आधारित बात सेहो अछि। तैयो, आदिवासी जनजातिक पहिचान तथा आधिकारक सम्बन्धमे एखन बृहत् चेतना पसरल देखल जाइत अछि। ई चेतना समाजकेँ मान्यताक लेल मांग करबाक स्थापना बृहतर गौरबक अनुभूतिक लेल अग्रसर करओने अछि।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९क परिभाषाअनुसार एहिमे उल्लेखित अधिकार निम्नलिखितक हकमे लागू हएत : (१) राष्ट्रिय समुदायक अन्य वर्गसँ पृथक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अवस्था भेल, आ पूर्ण तथा आंशिक रूपसँ अपन प्रथा अथवा परम्परा अथवा विशेष कानुन अथवा नियमद्वारा नियमन कएलगेल हैसियतबला आदिबासी जनजाति; आ (२) विजय अथवा औपनिवेशीकरण अथवा वर्तमान राज्य सीमा निर्धारण करबाकाल उक्त क्षेत्रमे बंशपरम्परासँ आदिवासीक रूपसँ बसोबास करैत आबिरहल मानलगेल, आ सम्पूर्ण अथवा आंशिक रूपसँ अपन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परम्परा निर्वाह करैत अएल मनुष्यसभ । एकर अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ उक्त महासन्धिक व्यवस्थाद्वारा समेटल समूहक निर्धारणक लेल आदिवासीक रूपमे स्व-पहिचानकेँ आधारभूत मापदण्ड (एकटा मात्र बिशेष तत्वक रूपमे नहि) मानने अछि ।

नेपालक आदिवासी जनजाति

राष्ट्रिय जनगणना–२०५८क अनुसार नेपालक सम्पूर्ण जनसंख्या (तत्कालीन समयमे दू करोड़ सताइस लाख (२ करोड़ २७ लाख) निर्धारित कएलगेल । मुदा, एखन अनुमानित दू करोड़ अस्सी लाख (२ करोड़ ८० लाख)क ३६.३१ प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या (आदिवासी जनजातिक रूपसँ परिचित) अछि । नेपालक सम्पूर्ण ७५ जिलामेसँ २७ जिलामे आदिवासी जनसंख्याक बाहुल्य अछि । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन-२०५८ लागू क' नेपालमे विभिन्न ५९ आदिवासी जनजातिक पहिचान करबाक संगहि ओकरासभकेँ मान्यता प्रदान कएलगेल अछि। उक्त ऐन अनुसार *"आदिवासी/जनजाति कहलासँ अपन मातृभाषा आ परम्परागत रीतिरिवाज, पृथक सांस्कृतिक पहिचान, पृथक सामाजिक संरचना आ लिखित अथवा अलिखित इतिहास भेल/रहल जाति अथवा समुदायकेँ बुझबाक चाही ।"* ओहीमेसँ चारि तरहक आदिवासी जनजाति (मगर, थारू, तामांग आ नेवार) क जनसंख्या लगभ १० लाखसँ ३६ लाखक बीचमे, पाँच समुदायक जनसंख्या एक लाखस १० लाखक बीचमे अछि आ कतिपय समुदायक जनसंख्या एक हजारसँ कम पाओल जाइत अछि । ई ऐनक अनसूचीमे ५९ आदिवासी जनजातिक नाम सूचीकृत कएलगेल अछि ।

हिमाल

१. बारहगामबला
२. भोटे
३. व्यासी
४. छैरोतन
५. ड़ोल्पा
६. लार्के
७. ल्होमी (सिङसाबा)
८. ल्होपा
९. मार्फाली थकाली
१०. मुगाली
११. सियार
१२. ताङबे
१३. थकाली
१४. थुदाम
१५. तीन गामबला थकाली
१६. तोप्कोगोला
१७. शेर्पा
१८. वालुङ

पहाड

१. बनकरिया	९.हायु	१७. नेबार
२. बराम	१०. ह्योल्मो	१८. पहरी
३. भुजेल/घर्ती	११. जिरेल	१९. राई
४. चेपाङ	१२. कुसबाड़िया	२०. सुनुबार
५. छन्त्याल	१३. कुसुण्ड़ा	२१. सुरेल
६. दुरा	१४. लेप्चा	२२. तामाङ
७. फ्री	१५. लिम्बु	२३. थामी
८. गुरुङ	१६. मगर	२४. याक्खा

भित्री मधेश

१. बोटे	४. कुमाल	७. राउटे
२. दनुवार	५. माझी	
३. दरै	६. राजी	

तराई

१. धानुक	५. किसान सन्थाल	९. ताजपुरिया
२. धिमाल	६. मेचे	१०. थारु
३. गनगाई	७. राजवंशी (कोचे)	
४. झाङ्गड़	८. सतार/(राजवंशी)	

राष्ट्रिय औसतक तुलनामे नेपालक बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति आर्थिक तथा अन्य मानव विकास सूचकांकक परिप्रेक्ष्यमे पाछां पड़िरहल अछि । अनुमानित तथ्याङ्कअनुसार आधासँ बेसी आदिबासी जनसंख्या गरीबीक रेखाक नीचा अछि। रचनात्मक विभेद, न्यून राजनैतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, तालीम आ रोजगारीक अवसरि तथा सशक्तीकरणमे पहुँचक अभावसँ आदिवासी जनताक गरीबी चिरस्थायी होबाक संगहि आओर बेसी गंहीर भ'गेल अछि । राजनैतिक प्रतिनिधित्वक सन्दर्भमे आदिवासी जनजनतिसभ दलितसँ उपर मुदा, अन्य जातीय समूहसभक तुलनामे निम्न स्थानमे रहल अछि।

नेपालक आीदवासी जनजातिसभ प्रमुखरूपसँ ग्रामीण क्षेत्रमे बसोबास करैत अछि आ प्राथमिक रूपसँ परम्परागत कृषिमे संलग्न अछि। एखनो नेपालक बहुतरास आदिवासी जनजाति परम्परागत पेशा अपनओने अछि । अधिकांशतः परम्रागत कृषिमे संलग्न रहलाक उपरान्तो उत्पादन आ पेशाक सन्दर्भमे एतुका ५९ गोट आदिवासी जनजातिकबीच व्यापक विविधता पाओल जाइत अछि। ओसभ शहरसँ ल'क' गामधरि पसरल अछि। केओ शिकारी तथा घुमुवा जीवन यापन क' रहल अछि आ परम्परागत स्वरूपक उत्पादनसँ ल'क' भार ढ़ो'वाक काज (भरिया), व्यापार करबाक काज, गलैचा बुनबाक काजमे संलग्न भेल पाओल जाइत अछि।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसभ

आदिवासी जनजाति महासन्धि, १९८९ (नं. १६९) २० टा देशद्वारा अनुमोदन कएलगेल अछि । ई भूमि अधिकार, प्राकृतिक साधनस्रोतपर पहुँच, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगारीक स्थितिसभ तथा सीमापार सम्पर्कलगायतक व्यापक विषय समेटने अछि । मूल अवधारणासभ परामर्श, सहभागिता आ स्वव्यवस्थापन अछि । आदिवासी जनजातिसभक संग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियाक सम्पूर्ण तहमे ओकारासभक पूर्ण सहभागिताक सुनिश्चितता तथा ओकरासभक संग परामर्श करबाक सरकारक दायित्व ई सिर्जना केने अछि ।

ई महासन्धिक कतिपय प्रावधान सरकारक लेल दायित्व सिर्जना केने अछि आ आदिवासी जनजातिसभक अधिकार सुरक्षित करबापर जोड देने अछि । आदिवासी जनजातिक अधिकार संरक्षण करबाक लेल तथा ओकरासभक निष्ठाक लेल सम्मानक प्रत्याभूति करबाक लेल समन्वयात्मक आ व्यवस्थित बातक आवश्यकता अछि। ताहिलेल सम्बन्धित जनताक सहभागितासँ काज करबाक जिम्मेबारी सरकारक उपर अछि ।

अपन जीवन, विश्वास, संस्था आ आध्यात्मिक लाभ तथा ओरासभक स्वामित्वमे रहल अथवा ओसभ अन्य प्रकारसँ प्रयोग करैत–अबैत भूमि उपर प्रभाव देखाव'बला विकास प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय अपन प्राथमिकताअनुसार करबाक अधिकार आदिवासी जनताकेँ होइत अछि। अपन आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासउपर सम्भव होबाक हदधारि नियन्त्रण करबाक अधिकार सेहो ओकरेसभकेँ होइत अछि । एकर अतिरिक्त ओकरसभकेँ प्रत्यक्ष रूपसँ प्रभावित कर'बला राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकास योजना आ कार्यक्रमसभक निर्धारण, कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामे सहभागी होबाक अधिकार सेहो ओकरे सभकेँ होइत अछि ।

सन् २००७ मे संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा आदिवासी जनजातिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र पारित क' संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्पूर्ण विश्वक आदिवासी जनजातिसभक अधिकार प्रवर्द्धन तथा संरक्षण करबाक सन्दर्भमे समग्र रूपसँ महत्वपूर्ण डेग बढ़ओने अछि । बाध्यकारी नहि भेल उक्त घोषणापत्र आदिवासी जनजातिसभक व्यक्तिगत तथा सामूहिक अधिकारसभकेँ उल्लेख करैत बिशेष उदार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनक महासन्धि नं. १६९क तुलनामे उल्लेख्य रूपसँ आगा बढ़ल अछि । घोषणापत्र तथा महासन्धि नं. १६९ क प्रावधानसभ एक दोसरसँ मिल'बला तथा एकहिसंग लागू होब'बला प्रकारक अछि। अपन प्रावधानसभक कार्यान्वयनक लेल सहयोग करबाक सम्बन्धमे घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसभक विशेष भूमिकाकेँ व्यवस्था केने अछि। विशेषक', एहि सन्दर्भमे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनक महत्वपूर्ण भूमिका देखल जाइत अछि ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनक महासन्धि 'आत्मनिर्णय' शब्दक प्रयोग नहि केलाक पश्चातो संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाक पछिलुका घोषणापत्र एहि सन्दर्भमे बहुत स्पष्ट अछि । एकर धारा ३ मे उल्लेख कएलगेल अछि - "आदिवासी जनजातिसभकेँ आत्मनिर्णयक अधिकार अछि। ओसभ अपन राजनीतिक हैसियतकेँ निर्धारण स्वतन्त्र प्रकारसँ क'सकैत अछि आ अपन आर्थिक, सामाजिक तथा

सांस्कृतिक विकासक लेल स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयास करैत अछि।'' घोषणापत्रमे आगां लिखलअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघक बड़ापत्र विपरीतक कोनो क्रियापकलापमे केओ संलग्न हुअए अथवा भ'सकए ताहि रूपसँ एकर व्याख्या नहि कएल जा सकैत अछि । सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राज्यसभक क्षेत्रीय अखण्डता अथवा राजनीतिक एकताकेँ विच्छिन्न करब अथवा नोक्सान पहुँचेबाक काज करब अथवा प्रोत्साहन देबाक बात ई महासभाक घोषणापत्र प्रदान नहि केने अछि।

नेपालमे विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत संयन्त्रसभ

हालक बर्षमे नेपाली समाजक बहुजातीय आ बहुसांस्कृतिक चरित्र तथा राजनीतिक स्थायित्व आ सामाजिक प्रगतिक लेल ई विविधताक सम्मान करबाक आवश्यकताक मान्यतामे बृद्धि होब' लागल अछि। सरकार बहुतरास महत्वपूर्ण कानुनी तथा नीतिगत दस्तावेजमे आदिवासी जनजातिसभक अधिकार आ आवश्यकतासभक विशेष सन्दर्भसभकेँ समावेश केने अछि। एकर उदाहरणक रूपमे संवैधानिक कानुन तथा विशेष कानुनक संगहि सरकारक प्रमुख योजना निर्माणसम्बन्धी दस्ताबे जसभमे कएलगेल उल्लेखसभकेँ लेल जा सकैत अछि।

नवम् पञ्चबर्षीय योजना (वि.सं. २०४८- वि.सं. २०५३)सँ नेपाल सरकार आदिवासी जनजातिसभक उपस्थितिकेँ पूर्ण रूपसँ मान्यता प्रदान कर' लागल अछि । तकराबादक योजनसभमे आदिवासी जनजातिसभक सर्बतोमुखी विकास तथा उत्थानक लेल सरकार प्रतिबद्धतासभकेँ समावेश करैत आगां बढ़' लागल। प्रमुख रूपसँ थारु आदिवासीसभकेँ प्रभावित क' रहल कमैयाप्रथाकेँ सरकार २०५७ साल साओन २ गते उन्मूलन केलक। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ निर्वाचित स्थानीय निकायसभमे आदिवासी जनजातिसभक लेल विशेष आरक्षणक व्यवस्था केलक । अन्य क्षेत्रक तुलनामे स्थानीय निकायसभमे आदिवासी जनजातिसभक प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपसँ उँच (२९ प्रतिशत) रहल छल (मुदा, स्थानीय निकायसभकेँ २०५९ साल अषाढ़ ३१ गते बिघटन क' देलगेल छल)।

आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानक स्थापना २०५८ सालमे भेल। आीदवासी जनजातिसभक उत्थान तथा सशक्तीकरण करबाक उद्देश्यसहित स्थापना कएलगेल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान एक टा स्वायत्त सरकारी निकाय अछि। ७५ गोट जिलामे आीदवासी/जनजातिसम्बन्धी कार्यक्रमक अनुगमन करबाक लेल जिलास्तरीय एकाईसभक स्थापना कर'मे एकर कार्यक्रम केन्द्रित अछि । ओ एकाईकेँ जिला विकास समितिसंगक निकट सहयोगक आधारपर काज करबाक चाहै छलै मुदा, ओ निकाय २०५९ सालसँ निष्क्रिय भ' गेल बात उपर उल्लेख भ' चुकल अछि। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानक निम्नलिखित उद्देश्यसभ अछि :

» कार्यक्रमसभक निर्धारण आ कार्यान्वयन क' आदिवासी/जनजातिक सर्वाङ्गीण विकासकेँ प्रवर्द्धन करब,

» आदिवासी जनजातिक भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला तथा इतिहासकेँ संरक्षण आ प्रवर्द्धन करब,

» आदिवासी जनजातिक परम्परागत ज्ञान, सीप आ प्रविधिकेँ संरक्षण तथा प्रवर्द्धन करब,
» विभिन्न आदिवासी/जनजातिक, जातजाति तथा सम्प्रदायबीच सुमधुर सम्बन्ध, सद्भाव आ सामञ्जस्य कायम क' देशक समष्टिगत विकासक मूल प्रवाहमे आदिवासी जनजातिक सहभागितकेँ प्रवर्द्धन करब ।

हालक वर्षमे कतिपय गैसस तथा पैरवी समूह सेहो देखल जाइत अछि । ५९ टा आदिबासी जनजातिक प्रतिनिधित्व कर'बला छाता संगठन नेपाल जनजाति महासंघ आदिवासी समुदायसभक उत्थान तथा सशक्तीकरणक दिशामे क्रियाशील रहल अछि ।

द्वन्द्वक पटाक्षेप तथा २०६३ साल वैशाखमे दोसर जन-आन्दोलनक सफलताक बाद ई प्रक्रिया आर सशक्त बनल । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनक महासन्धि नं. १६९ (सन् २००७ सितम्बरमे अनुमोदित) क, अतिरिक्त नेपाल आदिवासी समुदायसभक तथा ओकरासभक सदस्यसभकेँ अधिकार संरक्षण कर'बला अन्य किछु अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र सेहो अनुमोदन केलक । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ क धारा ९क अनुसार सन्धिसभक प्रावधानसभ नेपालमे कानुनेजकाँ बाध्यकारी अछि । अनुमोदन कएलगेल सन्धिक प्रावधानसभ आन्तरिक कानुनक प्रावधानसँ बाझल (असंगत रहल) अवस्थामे बाझल हेबाक हदधरि आन्तरिक कानुन बदर भेल मानल जाइत अछि । उपर्युक्त व्यवस्थाअनुसार सन्धिक प्रावधान नेपालक कानुनेजकाँ लागू होइत अछि ।

ई प्रगति संवैधानिक स्तरिपर सेहो प्रतिबिम्बित भेल अछि । इएह क्रममे ई अन्तरिम संविधान तथा हाल संविधानसभा सञ्चालनक आधारभूत सिद्धान्तसभमे सेहो प्रवेश पओने अछि । २०४७ सालक संविधानमे नेपालकेँ बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक देशक रूपमे घोषणा कएलगेल छल । मुदा, तैयो कतिपय संवैधानिक प्रावधान (हिन्दुअधिराज्य, सरकारी भाषाक रूपमे नेपाली भाषाक प्रयोगकेँ आदिवासी जनजातिक बिरुद्ध विभेदकारी रूपमे लेने छल आ कार्यान्वयन संयन्त्र तथा राज्यक दायित्व सुनिश्चित नहि कएलगेल छल ।

नेपालक अन्तरिम संविधान २०६३ आदिवासी/जनजातिक अधिकारक सन्दर्भमे विगतक तुलनामे बहुत उदार अछि । कतिपय आदिवासी समूहक पुरान मांगकेँ पूरा करैत नेपालकेँ धर्मनिरपेक्ष गणराज्यक रूपमे घोषणाक अतिरिक्त ई राज्यक सम्पूर्ण संरचनामे समानुपातिक समावेशी नीति सेहो अपनओने अछि । मौलिक हकसम्बन्धी भागक धारा २१ मे सामाजिक न्यायक हककेँ समेटलगेल अछि आ ई आदिवासी जनजाति तथा अन्यकेँ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तक आधारपर राज्यक संरचनामे सहभागी होबाक हक प्रदान केने अछि । राज्यक दायित्व, निर्देशक सिद्धान्तसभ तथा नीतिसम्बन्धी भागमे देशक संरचनाक सभ अंगमे आदिवासी जनजाति तथा अन्य सभकेँ समावेशीक आधारपर सहभागी करेबाक राज्यक दायित्व (धारा ३३ (घ १) आ शिक्षा, स्वास्थ्य आवास, खाद्य सम्प्रभुता आ रोजगारीमे निश्चित समयक लेल आरक्षणक व्यवस्था क' आर्थिक तथा सामाजिक रूपसँ पिछड़ल आदिवासी जनजातिक उत्थान कर'बला नीतिक संगहि सकारात्मक विभेदक आधारपर विशेष व्यवस्था करबाक नीति उल्लेख कएलगेल अछि (धारा ३५ (१०), (१४)) । तहिना, धारा १४४ (४ ख) मे सेनामे आदिवासी जनजातिक तथा आओर दोसरसभक प्रवेशकेँ समानता आ समावेशी सिद्धान्तक आधारपर कानुनमे व्यवस्था क' सुनिश्चित करवाक व्यवस्था कएलगेल अछि ।

संविधानसभा स्वयं आदिवासी जनजातिक पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्तिक आधारपर गठन कएलगेल अछि। राजनैतिक दलसभकेँ उम्मेदवार चएन करैतकाल समावेशी सिद्धान्तकेँ ध्यान देबाक चाही। राजनैतिक दलसभकेँ उम्मेदवार सूचीकृत करैतकाल कानुनमे व्यवस्था भेल अनुसार आदिवासी जनजाति तथा आओर दोसरक समानुपनतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करबाक चाही। ई बातक सुनिश्चितता अन्तरिम संविधान केने अछि (धारा ६३)। निर्वाचित नहि भेल २६ गोट सभासद्‌क मनोनयन करैतकाल मन्त्रिपरिषद, निर्वाचनद्वारा प्रतिनिधित्व नहि भेल आदिवासी जनजातिमेसँ मनोनयन करए सेहो कर्तव्यक सिर्जना केने अछि। परिणामस्वरूप संविधानसभाक ६०१ गोट सदस्यमेसँ एकर सभामुख सहित करीब २१८ गोट आदिवासी जनजाति अछि।

अन्तरिम संविधान नव संविधानक मसौदा तैयार करैतकाल संविधानसभाद्वारा पालन होब’बला किछु आधारभूत सिद्धान्तसभ सेहो निर्धारण केने अछि। ई आदिवासी जनजातिसभ तथा अन्य स्वायत्त प्रदेशक इच्छा रखनिहार लोकसभक भावनाकेँ स्वीकार करैत नेपालकेँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यक रूपमे घोषणा केने अछि। अन्तरिम संविधानअनुसार, नेपालक सार्वभौमिकता, एकता आ अखण्ड़ताकेँ कायम रखैत स्वायत्त प्रदेशसभक सीमा, संख्या, नाम आ स्वायत्त प्रान्तसभक संरचनाक अधिकार आ साधनस्रोतक बाँट–फाँट संविधानसभाद्वारा हएत (धारा १३८ (१क)।

निष्कर्ष

नव संविधानक मसौदा तैयार करबाक क्रममे आदिवासी जनजातिसभक अधिकार सुनिश्चित करबाक लेल व्यापक विचार–विमर्श आवश्यक अछि। एहि सन्दर्भमे अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा अन्य सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड़सभसँ प्रेरणा लेब महत्वपूर्ण अछि। संविधानमे उल्लेख भेल मोताबिक व्यवहारमे अधिकारक उपभोगक लेल आदिवासी जनजातिसभकेँ सशक्त होबाक लेल उपयुक्त संयन्त्रक लेल संवैधानिक प्रावधानक व्यवस्था करबालेल निरन्तर प्रयाससम्बन्धी आवश्यकता सभसँ महत्वपूर्ण पक्ष अछि। उदाहरणक लेल, नव संविधानद्वारा निश्चित अधिकारसभ स्थापित करबाक अतिरिक्त ओकरासभक कार्यान्वयनक सम्बन्धमे निगरानी रखबाक जिम्मेबारीसहितक एक गोट बिशेष निकायक व्यवस्था कएल जा सकैत अछि। किछु देश अपन आदिवासी समुदायसभकेँ संविधानक अनुसूचीमे सूचीकृत केने अछि (उदाहरणक लेल, भारतक सूचीकृत आदिवासीसभ)।

आदिवासी समूहसभक सम्भावित सम्पूर्ण समस्याक समाधान तथा ओकरासभक सम्पूर्ण आकांक्षाक सम्बोधन संविधान स्वयं क’सकैत अछि से आशा कोनो अवस्थामे नहि करबाक चाही। आदिवासी जनजातिसभक अधिकारप्रतिक प्रतिबद्धता संविधानमे मात्र सीमित नहि भ’ ओकर कार्यान्वयन सुनिश्चित करबाक लेल कानुनसभ, नीतिसभ तथा उपयुक्त सरकारी आर्थिक सहयोग उपलब्ध कार्यक्रमसभमे सेहो विस्तारित हएब आवश्यक अछि। साझेदारी आ सहयोगक माध्यमद्वारा मतभिन्नताकेँ हटेबाक लेल उपायसभक खोजीक बाद मात्र राज्य आ आदिवासी जनजातिसभक बीच मजबूत, सन्तुलित तथा सिर्जनशील सम्वन्धक विकास भ’सकैत अछि।

पुस्तिका शृंखला सम्बन्धमे

संविधानसभाक सदस्यसभकेँ आ इच्छुक सर्वसाधारणकेँ संविधान निर्माण प्रक्रियाक सम्बन्धमे आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराएब एहि पुस्तिका शृंखलाक उद्देश्य अछि । ई प्रकाशनसभ संवैधानिक परिणाम सम्बन्धमे कोनो तरहक पूर्वानुमान कर'बला अवधारणापत्र अथवा प्रस्ताव अथवा मनसाय नहि अछि । ई शृंखला संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमक (यूएनडीपी) "नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माणक लेल सहयोग" (एसपीसीबीएन) परियोजनाक समन्वयमे नेपाली आ अन्तर्राष्ट्रिय संविधानविद्सभक सामूहिक प्रयासक प्रतिफल अछि ।

ई पुस्तिकासभकेँ आओर परिस्कृत बनेबा हेतु प्रतिक्रिया आ टिप्पणीक लेल विशेष अनुरोध अछि । बेसीसँबेसी सुसूचित, प्रतिबद्ध आ रचनात्मक विचारविमर्शकेँ प्रोत्साहित करबामे ई प्रकाशनसभ सफल भेलेपर अपेक्षित उद्देश्यक प्राप्ति भ'सकैए । प्राप्त टिप्पणीसभक आधारपर ई पुस्तिकासभक नव संस्करणक संगहि अतिरिक्त संस्करणसभ तैयार कएल जा सकैत अछि ।

ई शृंखलाकेँ नेपालक किछु प्रमुख भाषामे अनुबाद करबाक क्रममे उँच गुणस्तरक संगहि एहिकेँ सम्बन्धित भाषाक बेसीसँबेसी लोक बुझि सकए ताहिलेल ठीक शब्दावलीक प्रयोगक हरसम्भब प्रयास कएल गेल अछि । शब्दावलीक उपयुक्त आ ठीक प्रयोगक सम्बन्धमे बिभिन्न भाषिक समुदायसभक बीच भविष्यमे विचारविमर्श आ बहस होबाक अपेक्षा कएल जा सकैत अछि । संवैधानिक संवाद केन्द्रक उद्देश्य ओहन बहससभकेँ कोनो प्रकारेँ ओझलमे (छाहरिमे) नहि राखि ओहि भाषासभकेँ सेहो समावेश क' एहि प्रयासमे समाबेशिता आ पहुँचकेँ अधिकतम अभिवृद्धि करब अछि ।

देशमे संविधान निर्माणसँ सम्बन्धित जुड़ल बिषयबस्तुक सम्बन्धमे संवैधानिक संवाद केन्द्रद्वारा तैयार भ'रहल शृंखलाबद्ध पाठ्यसामाग्रीसभक एकटा अंश (भाग) ई पुस्तिका अछि ।

सभासदसभक संगाहि ई विषयबस्तुमे अभिरुचि रखनिहार सर्वसाधारणसमकेँ प्रमुख संवैधानिक अवधारणा आ मुद्दासभमे (समस्यासभमे) संलग्न कराएब एहि शृंखलाबद्ध प्रकाशनक उद्देश्य अछि। शृंखलाअन्तर्गतक प्रत्येक पुस्तिका नेपालमे प्रयुक्त (बाजल जाएबला) प्रमुख भाषासभ (नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारु, मगर, तामांग, नेवार आ अंग्रेजी) मे उपलब्ध अछि। ई पाठ्यसामाग्रीसभक श्रव्य (सुनएबला) संस्करणक (कैसेट, सिडी) उपलब्धिक संगाहि एहिसभकेँ अनलाइनमे सेहो राखल गेल अछि ।

पहिल चरणमे ई प्रकाशन शृंखलामे समेटलगेल विषयबस्तुसभ एहि प्रकारेँ अछिः राज्य आ धर्म, संघीय प्रणाली, संविधानमे मानव अधिकार, आदिवासी जनजातिक अधिकार, अल्पसंख्यकक अधिकार, सरकारक प्रणालीसभ, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण आर सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया ।

संवैधानिक संवाद केन्द्र
तेसर महल, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डू
टेलिफोन नं. ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८
ई-मेल : info@ccd.org.np
वेबसाइट : www.ccd.org.np